राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक-पुलिया/2020-21/12273-82 दि. 19/6/2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा ।

विषय- सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 45408-16 दिनांक 13.12.2019 के कम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में निम्नलिखित डामरीकरण सडक निर्माण कार्यो की अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा का पत्र कमांक एसपी-1 दिनांक 26.05.2020 एवं उपायुक्त टीएडी का पत्र 1298-1300 दिनांक 05.06.2020 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 2 में वर्णित कार्यो हेतु कॉलम सं. 6 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

(राशि लाखों में)

कार्यकारी एजेन्सी-सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क./दि.	राशि	क./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	डामर सडक निर्माण मलवासा-स्कूल से मलवासा-II स्कूल ग्रा.पं. मलवासा पं.सं. तलवाडा	45408-16 दि.13.12.19	138.92	129/2019-20	138.92	78.00
2	डामर सडक निर्माण खानपुरा मुख्य सडक से घाटीपाडा कुण्डल तक ग्रा.पं. कुण्डल पं.सं. छोटी सरवन	45408-16 दि. 13.12.19	150.00	10/25.05.2020	150.00	84.24
			288.92		288.92	162.24

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 288.92 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त 162.24 लाख की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पी.डी. खाते में निम्नानुसार उपलब्ध है:- जिन्हें बांसवाडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को निम्नानुसार हस्तांतरण की जानी है।

(राशि लाखों में)

कार्यालय का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता (पूंजीगत मद)
उपायुक्त, टीएडी बांसवाडा	38.34
उपायुक्त, टीएडी डूंगरपुर	85.80
उपायुक्त,टीएडी प्रतापगढ	1.00
उपायुक्त,टीएडी आबूरोड	37.10
योग	162.24

उपायुक्त, टीएडी बांसवाडा के पत्र कमांक 1142-43 दिनांक 20.05.2020 अनुसार पी.डी. खाते में उपलब्ध बचत राशि रूपये 38.34 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राशि रूपये 38.34 लाख कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रथम किश्त के तौर पर हस्तान्तरित करें। उपरोक्त तालिका में वर्णित अन्य जिलों (डूंगरपुर, प्रतापगढ, आबूरोड जिला सिरोही) की राशि संबंधित उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही पृथक से की जावेंगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।

कृ.पृ.उ.

2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति** इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक–पुलिया/2018–19/12273-82 दि. 19/6/2020
प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जिला बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
7. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आपके पत्रांक 1107 दिनांक 22.05.2020 द्वारा आपके पी.डी. खाते में पूंजीगत मद की उपलब्ध राशि 85.80 लाख आयुक्त, टीएडी उदयपुर को हस्तांतरित करें।
8. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ को भेजकर लेख है कि आपके पत्रांक 1483 दिनांक 20.05.2020 द्वारा आपके पी.डी. खाते में पूंजीगत मद की उपलब्ध राशि 1.00 लाख आयुक्त, टीएडी उदयपुर को हस्तांतरित करें।
9. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड को भेजकर लेख है कि आपके पत्रांक 33 दिनांक 19.05.2020 द्वारा आपके पी.डी. खाते में पूंजीगत मद की उपलब्ध राशि 37.10 लाख आयुक्त, टीएडी उदयपुर को हस्तांतरित करें।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
11. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
12. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
13. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com.,Website www.tad.rajasthan.gov.in